न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 114/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांक : 18.09.2020
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सीताराम पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 99/2018 बउनवान सीताराम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा को ग्राम मऊ के आराजी खसरा संख्या 1020 रकबा 0.52 है0 भूमि किस्म बारानी पर सम्वत 2075 में अतिक्रमण कर फसल सोयाबीन काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 12.10.2018 से 468/– रूपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 27.05.2019 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई।

2. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं कानून के विरूद्ध होने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही कोई तावान राशि बकाया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजायाब करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही कोई तावान राशि बकाया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजायाब करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के यहां पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि सीताराम पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी मऊ ने सम्वत 2075 में ग्राम मऊ की आराजी खसरा सं0 1020 रकबा 0.52 है0 भूमि किस्म बारानी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सोयाबीन काश्त की गई है। उक्त रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण सं0 28/2018 दर्ज किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 04.09.2018 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। इसके उपरांत प्रकरण में दिनांक 12.10.2018 को उपस्थित होने बाबत् पुनः नोटिस जारी किया गया, जो स्वयं अपीलार्थी को तामील होना प्रकट होता है। किंतु बावजूद सूचना के अपीलार्थी के द्वारा उक्त नोटिस के संबंध में कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किये जाने से तथा अनुपस्थित रहने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर अपीलार्थी को पूर्व में भी प्रकरण संख्या 02/2017 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 07.11.2017 से भूमि से बेदखल किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 468/– रूपये तावान राशि एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना का निर्णय दिनांक 12.10.2018 पारित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित मानते हुए निर्णय दिनांक 27.05.2019 से अपील खारिज की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के निर्णय दिनांक 12.10.2018 को यथावत रखा गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विवेचन किया जाना उचित प्रकट होता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 60/2024 बउनवान सीताराम बनाम सरकार में अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 07/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 के विरूद्ध अपील पेश की गई, जिसके अनुसार अपीलार्थी सीताराम पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश संख्या 16.01.2024 से ग्राम मऊ की आराजी खसरा सं0 1020 रकबा 0.52 है से बेदखल किया जाकर शास्ति 468/– से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रकरण सं0 07/2024 बउनवान सीताराम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 में न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल का निर्णय दिनांक 16.01.2024 में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होना जाहिर करते हुए अपील खारिज की गई। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के आदतन राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होना प्रकट होता है। जिसकी पुष्टि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 अन्तर्गत दर्ज उपरोक्त विवेचित प्रकरणों से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 49/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांकः 15.12.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कजोड़ पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति बैरवा, निवासी दीगोद खालसा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय नागर अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 56/2023 बउनवान कजोड़ बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 374/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 15.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दीगोदखालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 631 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 1906.2023 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को बिना सुनवायी, जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये एकपक्षीय निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी का उक्त अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। ना ही अपीलार्थी की ओर कोई तावान राशि बकाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह गौर नहीं किया कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं। इसके उपरांत भी पटवारी की रिपोर्ट को ही मानकर सजायाब कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को बिना सुनवायी, जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी का उक्त अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलार्थी की ओर कोई तावान राशि बकाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह गौर नहीं किया कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 374/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 15.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दीगोदखालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 631 की 3.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 1906.2023 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद के द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को दोषी मानकर दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है, क्योंकि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी का उक्त अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलार्थी की ओर कोई तावान राशि बकाया है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है, न्यायालय के द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दिनांक 02.11.2022 के अपीलार्थी के विरूद्ध 91 के तहत प्रकरण संख्या 373/2022 दिनांक 04.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त दिनांक को धारा 91(3) एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। इसके उपरांत न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा दिनांक 15.11.2022 को उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के अनुपस्थित होने पर निर्णय दिनांक 15.11.2022 से 1 माह के सिविल कारावास एवं 150/– रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। किंतु प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध बयान पटवारी में दिनांक का अंकन नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पटवारी के द्वारा किस दिनांक को बयान प्रस्तुत किये गये तथा ना ही पटवारी रिपोर्ट एवं बयान में यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ोद के द्वारा प्रकरण दिनांक 04.11.2022 को दर्ज किये जाने के उपरांत अपीलार्थी के सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 15.11.2022 पारित किया जाना प्रकट होता है, जबकि प्राकृतिक न्याय के दृष्टि से अपीलार्थी को सुना जाना आवश्यक प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 19.06.2023 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर कभी कब्जा नहीं करने बाबत् अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद में शपथ–पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, छीपाबड़ौद स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 1 माह के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

6 निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा